हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की वर्ष, 2012 की चतुर्थ बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 17 मई, 2012 को दोपहर 12–00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 वाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए :–

1– डॉ0 दिनकर बुराठोकी
2– प्रो0 ओ0पी0 चौहान
3– प्रो0 श्रीराम शर्मा
4– डॉ0 बी0एल विन्टा
5– डॉ0(श्रीमती) उमा वर्मा
6– प्रो0 सुरेश कुमार
7– चौ0 बरयाम सिंह बैन्स
8– सुरेश भारद्वाज
9– डॉ0 धनी राम शर्मा
10–श्री एन0एस0 बिष्ट
11–डॉ0 के0पी0 ठाकुर
12–श्री सी0पी0 वर्मा –कुलसचिव
सदस्य–सचिव

<u>मद संख्या:1</u> : कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वर्ष, 2012 की चतुर्थ नियमित बैठक में मैं आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ ।

इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा निम्नलिखित संगोष्ठियां, कार्याशालाएं आयोजित की गईं :–

- ❖ दिनांक 23 से 28 अप्रैल, 2012 तक भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय कार्यशाला '**विश्वविद्यालय प्रबंधन में सूचना तकनीक के**

उपयोग में उभरती चुनौतियों' विषय पर पॉच दिवसीय कार्यशाला आरंभ हुई जिसमें दस राज्यों के विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

- 23 अप्रैल, 2012 को ही विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग ने अपने छात्रों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नेवा समूह के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जिससे एम0कॉम0 पास करने वाले छात्र–छात्राओं को रोजगार मिलने में सहयोग मिलेगा ।
- इस बीच विश्वविद्यालय ने 26 अप्रैल,2012 को लिपिकों के टंकण परीक्षा का परिणाम घोषित किया जिसमें 21 अभ्यार्थी उतीर्ण हुए ।
- दिनांक 4 व 5 मई, 2012 को प्रधानमंत्री के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार डॉ0 ओ0पी0 पांडे ने **'सृष्टि रहस्य और 9 अंक का योगदान'** तथा **'भाषा का अवतरण'** विषय पर दो विशेष व्याख्यान दिए ।
- 5 मई, 2012 को अमेरिका के टैक्सास विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों का 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय में आया और कृषि सम्बन्धी विषयों पर विस्तृत चर्चा की । इस प्रतिनिधिमंडल में कानून, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, जैव–प्रौद्योगिकी और प्रबन्धन के विशेषज्ञ शामिल थे ।
- दिनांक 7 मई, 2012 को भारतीय विधिक परिषद की तीन सदस्यीय समिति ने विश्वविद्यालय विधिक संस्थान का निरीक्षण किया ।
- दिनांक 10 मई, 2012 को **'जलनेति का नासिका के साथ सम्बन्धित बीमारियों से इलाज'** विषय पर सुप्रसिद्ध सर्जन डॉ0 सुनील का व्याख्यान आयोजित किया गया ।

- समय–समय पर मैंने छात्रों से जीवंत सम्पर्क हेतु व्याख्यानों की कड़ी में विभिन्न कक्षाओं में विशेष व्याख्यान दिए गए जिसमें दिनांक 21 अप्रैल, 2012 को मनोविज्ञान विज्ञान में **'मूलवृतियों का उदात्तीकरण'** विषय पर व्याख्यान दिया ।

- यू0जी0सी0 अकादमिक स्टाफ कॉलेज में दिनांक 23 अप्रैल, 2012 को 249वें पुनश्चर्या कार्यक्रम के शुभारंभ पर विशेष व्याख्यान दिया ।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई तथा इसी कड़ी में शिक्षा विषय में सहायक आचार्यों के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 12 व 13 मई, 2012 को आयोजित किए गए ।
- विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर केन्द्र, शिमला तथा क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला में छंटनी परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश के लिए परीक्षाएं दिनांक 14 मई, 2012 से आरंभ हो गई हैं तथा सुचारू व सुव्यवस्थित रूप से आयोजित की जा रही हैं ।
- दिनांक 8 मई, 2012 को गैर–शिक्षक कर्मचारी संघ के चुनाव निर्विघ्न संपन्न हुए ।
- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में दीक्षान्त उद्बोधन हेतु मुझे आमंत्रित किया गया है ।
- विश्वविद्यालय स्तर पर प्रकाशन प्रकोष्ठ की स्थापना, विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय तथा केन्द्रीय प्लेसमेंट प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु समितियां गठित की गई ।
- नये पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं ।

मैं कुलसचिव से निवेदन करूंगा कि आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद के सम्मुख चर्चा के लिए प्रस्तुत करें

मद संख्या :2 :कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठक दिनांक 20–04–2012 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने पिछली बैठक दिनांक 20–04–2012 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण कर दिया ।

मद संख्या :3 : कार्यकारिणी परिषद की बैठक दिनांक 20–4–2012 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही का विवरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 20–4–2012 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही को निम्नलिखित टिप्पणी के साथ अनुमोदित किया :–

(मद संख्या:18): कार्यकारिणी परिषद ने डॉ0 पुरूषोतम भारद्वाज को नियुक्ति की तिथि से वित्तीय लाभ देने के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मामले पर अलग से मद परिषद के समक्ष विचार के लिए रखी जा रही है ।

(अन्तिम पैरा:– कार्यकारिणी परिषद ने अभ्यार्थियों द्वारा परीक्षा फॉर्म, परीक्षा फॉर्म पर लगाये जाने बाले फोटो तथा सर्टिफिकेटों को सत्यापित करने के मामले पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें यह बात स्पष्ट की गई कि नियमित अभ्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म व अन्य दस्तावेज सम्बन्धित प्रधानाचार्य/निदेशक/अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों द्वारा सत्यापित किये जाएंगे ।

परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि प्राइवेट अभ्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म, फोटो व अन्य दस्तावेज सत्यापित करने में अभ्यार्थियों को कठिनाई आ रही है । अतः परिषद ने इस समस्या के परीक्षण हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की :–

1– अधिष्ठाता छात्र कल्याण

2– परीक्षा नियन्त्रक

3– प्रो0 ओ0पी0 चौहान

मद संख्याः 4 : कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12 –सी (7) के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाना ।

......

उपरोक्त शक्ति के अन्तर्गत कुलपति महोदय ने कोई कार्यवाही नहीं की है ।

मद संख्या :5: कार्यकारिणी परिषद के माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है ।

......

डॉ0 दिनकर बुराठोकी, शिक्षा निदेशक एवं माननीय सदस्य कार्यकारिणी परिषद ने राजकीय महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने का मामला परिषद के समक्ष उठाया, जिस पर कार्यकारिणी परिषद ने यह निर्णय लिया कि राजकीय महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में संशोधन का मामला कार्यकारिणी परिषद के सम्मुख रखा जाए ।

मद संख्याः6 : विज्ञान भवन ब्लॉक–बी में स्थित भौतिकी विभाग की तीसरी मंजिल में विभाग द्वारा कमरा नं0–305 को संगोष्ठी कक्ष बनाने व संगोष्ठी कक्ष के लिए गुणवता के आधार पर वर्धन कॉरपोरेशन से एकमात्र निविदा के आधार पर गोदरेज फर्नीचर खरीदने बारे प्रस्ताव ।

.....

अनुमोदित ।

मद संख्या'7: श्री हीरा नन्द शर्मा, सहायक कुलसचिव, सेवानिवृत्त के विरूद्ध सेवा में रहते हुए नियमों की अवहेलना और महत्वपूर्ण तथ्यों को सही ढंग से न प्रस्तुतीकरण करने सम्बन्धी मामला अनुशासनात्मक कार्यवाही/विस्तृत जांच करने के लिए कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने श्री हीरा नन्द शर्मा, सहायक कुलसचिव (सेवानिवृत) के विरूद्ध सेवा में रहते हुए नियमों की अवहेलना और महत्वपूर्ण तथ्यों को

अधिकारियों के समक्ष सही ढंग से प्रस्तुत न करने के लिए CCS(Pension) Rule, 1972 के नियम -9(2)(b) तथा CCS(CCA)Rules, 1965 के नियम 14 और 15 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही

करने पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त मामले के परीक्षण हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की :—

1— शिक्षा निदेशक

2— प्रो0 ओ0 पी0 चौहान

3— डॉ0 के0पी0 ठाकुर

मद संख्या:8: बसन्त पंचमी (सरस्वती पूजा) के दिन विश्वविद्यालय में अवकाश घोषित करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु ।

.....

अनुमोदित ।

मद संख्या:9: अतिथि संकाय में श्री बाबू राम, कुक/मैस हैल्पर की दैनिक वेतन भोगी सेवाओं को दिनांक 29—8—2011 से आगे जारी रखने व उनके वेतन को विश्वविद्यालय की आकस्मिक निधि से वहन करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने श्री बाबू राम, दैनिक वेतन भोगी कुक, अतिथि संकाय की सेवाओं को दिनांक 29—8—2011 से दैनिक 30—4—2012 तक 120/— रूपये प्रति दिन की दर से विश्वविद्यालय की आकस्मिक निधि से भुगतान करने तथा इसके पश्चात् श्री बाबू राम बतौर कुक की सेवाओं को दिनांक 1—5—2012 से सरकार द्वारा समय—समय पर दैनिक वेतन भोगियों दिये जाने वाले अधिसूचित दैनिक दर पर तब तक जारी रखने का निर्णय लिया जब तक इस पद पर नियमित नियुक्ति नहीं होती है ।

मद संख्या:10: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित आयुर्वैदिक चिकित्सा अधिकारी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अपनाने हेतु मामला विचारार्थ प्रस्तुत है ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने **संलग्नक** के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित आयुर्वैदिक चिकित्सा अधिकारी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को विश्वविद्यालय में अपनाने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:11: प्रोग्रामर तथा यन्त्र अभियन्ता को 01–01–2006 से वेतनमान प्रदान करने हेतु कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने प्रोग्रामर तथा यन्त्र अभियन्ता को 01–01–2006 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने के मामले का परीक्षण करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की :–

1– अधिष्ठाता अध्ययन	–अध्यक्ष
2– डॉ0 लोकेश कौल	–सदस्य
3– डॉ0 सुभाष चन्द्र डोहरू, सेवानिवृत्त परीक्षा नियन्त्रक	–सदस्य
4– चौ0 बरयाम सिंह बैन्स	–सदस्य
5– श्री वी0के0 वोहरा योजना एवं विकास अधिकारी	–सदस्य–संयोजक

मद संख्या:12: हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: Fin.(C)A-2-2/89 दिनांक 17–02–2012 व अधिसूचना संख्या: PBW(A)B(13)32.94 दिनांक 26–06–2006 को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने श्री संजय शर्मा, अधिशासी अभियन्ता को तकनीकी स्वीकृति एवं कार्य आवंटन हेतु चयनित अधिशासी अभियन्ता की शक्तियां राज्य की अधिसूचना Fin.(C)A-2-2/89 दिनांक 17–02–2012 व अधिसूचना संख्या: PBW(A)B(13)32.94 दिनांक 26–06–2006 के अनुरूप रूपये 30–00 लाख तक की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:13: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र, शिमला में स्वीकृत एवं सृजित पदों का विश्वविद्यालय में श्रेणीवार विलय का मामला अनुमोदनार्थ ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र, शिमला में स्वीकृत एवं सृजित पदों का विश्वविद्यालय में श्रेणीवार विलय को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या:14: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य (PG Centre and ICDEOL) के रिक्त पदों की भर्ती हेतु दिनांक 12 व 13 मई, 2012 को लिए गए साक्षात्कारों में चयन समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे ।

......

सभापति ने चयन समिति की सिफारिशों को परिषद में पढ़कर सुनाया । सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं :–

1. शिक्षा विभाग (पी0जी0सैन्टर): विकलांग श्रेणी
   1. श्री विवेक नाथ त्रिपाठी
2. शिक्षा विभाग(इक्डोल): सामान्य श्रेणी
   1. डॉ0 (श्रीमती) मोनिका सूद

   अन्य पिछड़ा वर्ग :
   1. श्री प्रदीप सिंह दैहल

   विकलांग श्रेणी :

   कोई भी प्रार्थी उपयुक्त नहीं पाया गया ।

   अनुसूचित जनजाति :
   1. श्री राजेश कुमार शर्मा

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशें का अनुमोदन किया ।

मद संख्या:15: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष 13 अप्रैल, 2012 के बाद घोषित परिणामों का विवरण ।

......

नोट कर अनुमोदित किया ।

मद संख्याः16: संसाधन जुटाने हेतु गठित कार्यान्वयन समिति की सिफारिशें को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने संसाधन जुटाने हेतु गठित कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद सख्याः17: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष डॉ0 पुरूषोतम भारद्वाज को उनकी नियुक्ति की तिथि से वित्तीय लाभ देने सम्बन्धी प्रकरण ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने डॉ0 पुरूषोतम भारद्वाज को उनकी नियुक्ति की तिथि से वित्तीय लाभ देने सम्बन्धी प्रकरण पर विस्तार से चर्चा करने के पश्चात यह निर्णय किया कि इस मामले में प्रथम दृष्टया में कानूनी सलाह ली जाए ।

मद संख्याः18: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष Ph.D. उपाधि धारकों को NET/SET से छूट देने बारे ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने 10 जुलाई 2009 तक या इससे पूर्व एम0फिल0 की उपाधि प्राप्त/पंजीकृत हुए तथा 31 दिसम्बर, 2009 तक या इससे पूर्व पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त करने वाले या जिन्होंने 10 जुलाई, 2009 तक तथा इससे पूर्व पी0एच0डी0 के पंजीकरण करवा लिया है अभ्यार्थियों के मामले पर विस्तार से चर्चा के दौरान कहा कि पूर्ववत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में विसंगतियों का परीक्षण करने हेतु 27 सितम्बर, 2012 को प्रो0 सुखदेव थरोट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व के नियमों में संशोधित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया :–

> "The Commission further resolved that since both the above mentioned Regulations are prospective and not retrospective in nature, therefore, all candidates having M.Phil degree on or before 10 July, 2009 shall remain exempted from the requirement of NET for the purpose of appointment as

Lecturer/Assistant Professor. Further, all candidates who have either obtained Ph.D. degree on or before 31st December, 2009 and candidates who had registered themselved for Ph.D. degree on or before 10th July,2009 and are subsequently awarded Ph.D degree, shall remain exempted from the requirement of NET for the purpose of appointment as Lecturer/Assistant Professor."

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी उक्त नियमों के दृष्टिगत ही 12–03–2010 को सहायक आचार्यों के पदों हेतु विज्ञप्ति दी, उसे भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संशोधित अपरिहार्य योग्यताओं के आधार पर पद भरने हेतु विज्ञापित किया है ।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर कार्यकारिणी परिषद ने 10 जुलाई 2009 तक या इससे पूर्व एम0फिल0 की उपाधि प्राप्त/पंजीकृत हुए तथा 31 दिसम्बर, 2009 तक या इससे पूर्व पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त करने वाले या जिन्होंने 10 जुलाई, 2009 तक तथा इससे पूर्व पी0एच0डी0 के लिए पंजीकरण करवा लिया है को सहायक आचार्य के पद हेतु NET/SET से छूट देने का निर्णय लिया ।

अन्य मदें :–

सम्माननीय सदस्य श्री एन0एस0 बिष्ट ने महाविद्यालय अध्यापक संघ का मॉग–पत्र परिषद के समक्ष रखा जिसमें अध्यापक संघ ने सह–आचार्य के पद के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम–2010 के अनुसार शोध–मार्गदर्शन की शर्त को हटाने की मॉग की । श्री बिष्ट ने कहा कि क्योंकि महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए शोध कर रहे विद्यार्थियों के मार्गदर्शन (Guidance) की अनुमति नहीं है और यह मामला अधिष्ठाता समिति के विचारार्थ है इसलिए उन्हें जैसा कि कई अन्य विश्वविद्यालयों ने शोध–मार्गदर्शन की शर्त को अनिवार्य योग्यता नहीं माना है अतः महाविद्यालयों के अध्यापकों को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम–2010 के अनुरूप छूट दी जाए ।

कार्यकारिणी परिषद ने मामले पर गहन विचार–विचार–विमर्श के उपरान्त मामले का परीक्षण करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की :–

1– अधिष्ठाता अध्ययन
2– प्रो0 ओ0 पी0 चौहान
3– प्रो0 सुरेश कुमार
4– श्री एन0एस0बिष्ट

सम्माननीय सदस्यों प्रो0 सुरेश कुमार तथा श्री एन0एस0 विष्ट ने यू0आई0
आई0टी0 में अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत अध्यापकों तथा अन्य अधिकारियों के नियमितीकरण का मामला परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया । जिस पर कार्यकारिणी परिषद ने मामले के परीक्षण हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया :

1– डॉ0 धनी राम शर्मा

2– प्रो0 सुरेश कुमार

3– श्री एन0 एस0 बिष्ट

माननीय सदस्य श्री एन0एस0 बिष्ट ने कम्प्यूटर साईंस में कार्यरत श्री जवाहर ठाकुर, को पी0एच0डी की उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा से एक बार छूट देने का मामला परिषद के समक्ष रखा । जिस पर कार्यकारिणी परिषद ने विशेष प्रकरण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया ।

बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(सी0पी0 वर्मा)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0 / –
(आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी)
कुलपति / सभापति